

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1713 / 2013 / जयपुर

मैसर्स प्रेम कारगो मूवर्स प्रा.लि.
जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक आयुक्त
वृत—एन.वाणिज्यिक कर, जयपुर

2. उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय
जयपुर

प्रत्यर्थीगण

अपील संख्या 1846 / 2013 / जयपुर

सहायक आयुक्त
वृत—एन.वाणिज्यिक कर, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रेम कारगो मूवर्स प्रा.लि.
जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

.उपस्थितः

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाक
श्री पारस पाटनी
उप राजकीय अभिभाषक

विभाग अपीलार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 30.01.2017

व्यवहारी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलों में से अपील संख्या 1713 / 2013 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1846 / 2013 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत—एन, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 146 / अ.प्रा.— ।। / प्रवेश कर मोटर व्हीकल / 2012–13 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी राजस्थान टैक्स ऑन इन्ट्री आफ मोटर व्हीकल्स इनटू लोकल एरिया एक्ट, 1988 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 3 व 6 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.05.2012 के द्वारा कर रु. 4,62,000 / –, ब्याज रु. 78,540 / – एवं शास्ति रु. 2,31,00 / – कुल रु. 7,71,540 / – की मांग सृजित की है, कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने के विरुद्ध विभाग की ओर से उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

2

चूंकि दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने एवं निर्णय हेतु विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जा रही हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा तीन ट्रेलर राजस्थान राज्य के बाहर बैंगलोर से क्रय करके राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करवाया गया है। व्यवहारी द्वारा आयातित ट्रेलर अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहन होने के कारण उसके उक्त आयातित ट्रेलरों पर प्रवेश कर जमा करवाया जाना चाहिए था किन्तु व्यवहारी द्वारा उक्त वाहनों पर देय प्रवेश कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तीनों ट्रेलरों की कीमत रु. 33,00,000/- पर 14 प्रतिशत की दर से कर रु. 4,62,000/-आरोपित किया तथा उक्त कर अदेय होने के कारण उस ब्याज रु. 78,540/-आरोपित किया। व्यवहारी की करापवंचन की दोषी मानसिकता मानते हुए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,31,000/-आरोपित की है। उक्त प्रकार से आरोपित कर ब्याज एवं शास्ति से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2013 पारित कर कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.05.2013 पारित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए वह अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि तीन ट्रेलर केरियर जो बिना मोटर इंजन के हैं, ट्रिनिटी कंमोनेंट्स प्रा.लि. बैंगलोर से परिवहन व्यवसाय हेतु क्रय किये गये हैं। उनका कथन है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा उक्त तीनों ट्रेलर गुडगांव/हरिद्वार से बैंगलोर/चैन्नई माल परिवहन हेतु इन ट्रेलर्स का क्रय किया गया था तथा इन केरियर ट्रेलर्स का उपयोग राजस्थान राज्य में नहीं किया गया है इसलिए राजस्थान राज्य में इन केरियर ट्रेलर्स पर कोई प्रवेश कर का दायित्व नहीं बनता है। उनका कथन है कि उक्त प्रकार से आयात किये गये केरियर ट्रेलर्स मोटर वाहन की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस कारण इन पर कोई प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। उन्होंने आगे कथन किया कि उक्त केरियर ट्रेलर्स के आयात के समय राज्य में जांच चौकियाँ अस्तित्व में नहीं थीं इसलिए ई.टी.-1 पेश नहीं किया जा सका और ना ही फार्म ई.टी.-1 पेश करने की विधिक आवश्यकता थी। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित

कर एवं ब्याज के बिन्दु कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है, जो प्रकरण के तथ्यों एवंविधिक स्थिति के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।


उनका कथन है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा कोई संव्यवहार लेखा पुस्तकों से छिपाया नहीं है इसलिए करापवंचन की मंशा मानकर शास्ति आरोपित किया जाना अनुचित है। उन्होंने उक्त के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स श्री कृष्ण इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 को उद्धरित करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने को विधिक बताते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर व्यवहारी की अपील स्वीकार करने विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने केरियर ट्रेलर्स के राजस्थान राज्य में प्रवेश करते समय ना तो ई.टी.-1 पेश किया ना ही फार्म ई.टी.-1 पेश किया, जिसकी विधिक आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने कर ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील को अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया गया।

उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त आधार पर, कर निर्धारण अधिकारी आरोपित किये गये कर एवं ब्याज पुष्टि की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा करापवंचन किया गया है इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किया जाना अनुचित होने से अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश शास्ति के बिन्दु पर अपास्त योग्य है। उन्होंने विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश तथा विधिक स्थिति का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार व्यवहारी द्वारा तीन ट्रेलर राजस्थान राज्य के बाहर बैंगलोर से क्रय करके राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करवाया गया है। व्यवहारी द्वारा आयातित ट्रेलर अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहन होने के कारण उसके उक्त आयातित ट्रेलरों पर प्रवेश कर जमा करवाया जाना चाहिए था किन्तु व्यवहारी द्वारा उक्त वाहनों पर देय प्रवेश कर का भुगतान नहीं किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तीनों ट्रेलरों की कीमत



रु. 33,00,000/- पर 14 प्रतिशत की दर से कर रु. 4,62,000/-आरोपित किया तथा उक्त कर अदेय होने के कारण उस ब्याज रु. 78,540/-आरोपित किया। व्यवहारी की करापवंचन की दोषी मानसिकता मानते हुए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत शास्ति रु. 2,31,000/-आरोपित की है।

रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तीन ट्रेलर केरियर जो बिना मोटर इंजन के हैं, ट्रिनिटी कमोनेंट्स प्रा.लि. बैंगलोर से परिवहन व्यवसाय हेतु क्य किये गये हैं। व्यवहारी कम्पनी द्वारा उक्त तीनो ट्रेलर गुडगांव/हरिद्वार से बैंगलोर/चैन्नई माल परिवहन हेतु इन ट्रेलर्स का क्य किया गया था तथा इन केरियर ट्रेलर्स का उपयोग राजस्थान राज्य में नहीं किया गया है इसलिए राजस्थान राज्य में इन केरियर ट्रेलर्स पर कोई प्रवेश कर का दायित्व नहीं बनता है। उक्त प्रकार से आयात किये गये केरियर ट्रेलर्स मोटर वाहन की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस कारण इन पर कोई प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। उक्त केरियर ट्रेलर्स के आयात के समय राज्य में जांच चौकियाँ अस्तित्व में नहीं थी इसलिए ई.टी.-1 पेश नहीं किया जा सका और ना ही फार्म ई.टी.-1पेश करने की विधिक आवश्यकता थी। रेकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकार से आयातित ट्रेलर्स का उपयोग राजस्थान राज्य में नहीं किया गया है इसलिए अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश कर लगाना अनुचित है। बिना मोटर के लगे ट्रेलर को मोटर वाहन नहीं माना जा सकता है। उक्त बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 3 को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

"3. Incidence of Tax,-

(1) There shall be levied and collected a tax on the purchase value of a motor vehicle, an entry of which is effected into a local area for use or sale therein and which is liable for registration in the

State under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939), at such rate or rates as may be notified by the State Government from time to time but not exceeding the rates notified for motor

vehicles under section 5 of the RST Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954) or fifteen percent of the purchase value of a motor vehicle, whichever is less: Provided that no tax shall be levied and collected in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of

1939) for a period of fifteen months or more before the date on which it is liable to be registered in the State under the said Act.

(2) The tax shall be payable by an importer, -

(a) if he is a dealer registered or liable to be registered under the provisions of the RST Act, 1954. (Act No.29 of 1954), in the manner and within the time as tax on sales is payable by him under the said Act; and

(b) if he is a person not covered by clause (a), on the date of entry of the motor vehicle into the local area, to the incharge of the entry checkpost or the Commercial Taxes Officer of the area where he ordinarily resides or carries on any business or provides any service, and the provisions of the RST Act,

1954 (Act No.29 of 1954) as applicable to a registered dealer or casual trader shall, mutatis mutandis, apply to such dealer or, as the case may be, such person.

(3) The tax shall be in addition to the tax levied and collected as octroi by any local authority within its local area.


अधिनियम की धारा 3 के पठन से स्पष्ट है कि मोटर वाहन के राज्य में प्रवेश के समय कर आरोपित करने का प्रावधान है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में चेसिस को मोटर वाहन मानकर कर व ब्याज का आरोपण किया गया है जबकि उक्त ट्रेलरस व्यवहारी कम्पनी द्वारा उक्त तीनो ट्रेलर गुडगांव/हरिद्वार से बैंगलोर/चैन्नई माल परिवहन हेतु इन ट्रेलरस का क्य किया गया था तथा इन केरियर ट्रेलरस का उपयोग राजस्थान राज्य में नहीं किया गया है इसलिए राजस्थान राज्य में इन केरियर ट्रेलरस पर कोई प्रवेश कर का दायित्व नहीं बनता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयातित ट्रेलरस में कर का दायित्व आकर्षित नहीं होता है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को उचित नहीं मानते हुए उसे अपास्त किया जाता है। जब कर आरोपणीय नहीं है तो ब्याज स्वतः ही निरस्त योग्य है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज के बिन्दु पर पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

जहां तक शास्ति आरोपण का प्रश्न है कि उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा किसी संव्यवहार को छुपाया नहीं गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2000) 23 वीएसटी 249 में पारित निर्णय के आलोक में शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त निर्णय का सारगर्भित अंश अपने अपीलाधीन आदेश में उद्धरित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश 11.07.2013 की शास्ति के बिन्दु पर पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुभाल शर्मा)
सदस्य